



भारत का राजपत्र The Gazette of India

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 186]
No. 186]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 1978/चैत्र 16, 1900
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 1978/CHAITRA 16, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1978

क्र०भा० 254(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आर्बटन), नियम 1961 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य आर्बटन) (एक सौ अट्ठाइसवां संशोधन) नियम, 1978 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य आर्बटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में—

(क) शीर्षक “कृषि और सिंचाई मंत्रालय” के अन्तर्गत, उस शीर्षक “ग्रामीण विकास विभाग” के अन्तर्गत, प्रविष्टि 10 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये, अर्थात्:—

“11. समेकित ग्रामीण विकास के लिये नोडीय उत्तरदायित्व”।

(ख) शीर्षक “शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय” के अन्तर्गत, उप शीर्षक “क. शिक्षा विभाग” के अन्तर्गत,

(i) प्रविष्टि 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायें, अर्थात्:—

“16 बहुभाषी शब्द कोषों सहित हिन्दी का विकास और प्रसार ।

16क. हिन्दी के शिक्षण और संवर्धन के लिये वित्तीय सहायता देना ।”

(ii) प्रविष्टि 53क. के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायें अर्थात्:—

“53ख. विडला औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय संग्रहालय, कलकत्ता ।
53ग. विश्वेश्वरैया औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय संग्रहालय, बंगलौर ।
53घ. नेहरू विज्ञान केन्द्र, बम्बई”।

(ग) शीर्षक “ऊर्जा मंत्रालय” के अन्तर्गत, उप-शीर्षक “ख. कोयला विभाग” के अन्तर्गत, प्रविष्टि 7 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये, अर्थात्:—

“7क. केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद”।

(घ) शीर्षक “गृह मंत्रालय” के अन्तर्गत, उप-शीर्षक “राजभाषा विभाग” के अन्तर्गत:—

(ii) प्रविष्टि 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये, अर्थात्:—

“3. संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचारी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिये, जिनमें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये हिन्दी शिक्षण योजनायें और मैंगजीनों, पत्रिकाओं और उनसे संबंधित अन्य साहित्य का प्रकाशन शामिल है, नोडीय उत्तरदायित्व”।

(ii) प्रविष्टि 4 और 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायें, अर्थात्:—

“4. संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचारी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों [जिनमें प्रकासनिक शब्दावली, पाठ्य-विवरण, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उनके लिये अपेक्षित उपस्कर (मानकीकृत सिपि सहित) शामिल हैं] में समन्वय ।

5. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संघर्ष-प्रबंध ।

(iii) प्रविष्टि 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये, अर्थात् :—

“6. केन्द्रीय हिन्दी समिति, जिसमें इसकी उप-गमितियां भी शामिल हैं, से संबंधित मामले”।

(क) शीर्षक “उद्योग मंत्रालय” के अन्तर्गत, उप-शीर्षक “क. औद्योगिक विकास विभाग” के अन्तर्गत, प्रविष्टि 20 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायें, अर्थात्:—

“20क. अहमदाबाद टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद ।

20ख. बम्बई टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई ।

20ग. वि. सिलक एण्ड ग्राटे मिल्स लिमिटेड रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई ।

20घ. दि. साउथ इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयंबटूर ।

20ङ. वूल रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई ।

20च. इंडियन जूट इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कलकत्ता ।

20छ. आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन, पुना ।

20ज. इंडियन प्लास्टिक्स इण्डस्ट्रीज रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर ।

20झ. सीमेंट रिसर्च इंस्टिट्यूट आफ इंडिया, फरीदाबाद, हरियाणा ।

20झ. इंडियन रबर प्रैक्टिकल रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई”।

(ख) शीर्षक “विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय” के अन्तर्गत, उप-शीर्षक “ख. विधायी विभाग” के अन्तर्गत, प्रविष्टि 5क. के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात्:—

“5क. यथा सम्भव, सभी राजभाषाओं में प्रयोग के लिये मानक विधि शब्दावली तैयार करना तथा उसका प्रकाशन ।

5ख. सभी केन्द्रीय अधिनियमों और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों तथा उनके द्वारा बनाये गये सभी विनियमों और ऐसे अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ तैयार करना ।

5ग. केन्द्रीय अधिनियमों और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों तथा उनके द्वारा बनाये गये विनियमों का राज्य की राजभाषाओं में अनुवाद करने और सभी राज्य अधिनियमों और अध्यादेशों का, यदि ऐसे अधिनियम अथवा अध्यादेश हिन्दी से भिन्न किसी अन्य भाषा में हों, हिन्दी अनुवाद करने की व्यवस्था करना ।

5घ. विधि-पुस्तकों और विधि-पत्रिकाओं का हिन्दी में प्रकाशन” ।

(छ) शीर्षक “पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय” के अन्तर्गत, उप-शीर्षक “पेट्रोलियम विभाग” के अन्तर्गत, प्रविष्टि 5 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये, अर्थात्:—

“5क. इंडियन इंस्टिट्यूट आफ पेट्रोलियम, देहरादून”।

(ज) शीर्षक “नौवहन और परिवहन मंत्रालय” के अन्तर्गत, प्रविष्टि 16 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये, अर्थात्:—

“16क. केन्द्रीय सहक अनुसंधान, नई दिल्ली”।

(झ) शीर्षक “निर्माण और आवास मंत्रालय” के अन्तर्गत, प्रविष्टि 12 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये, अर्थात्:—

“12क. केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की” ।

नीलम संजीव रेड्डी,

राष्ट्रपति

[सं० 74/2/1/78-सी०एफ०]

बादल राय, सयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 1978

S.O. 254(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and twenty-eight Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force at once.

2 In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule—

(a) under the heading “MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (KRISHI AUR SINCHAI MANTRALAYA)”, under the sub-heading “C. DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS VIBHAG)”, after entry 10, the following entry shall be inserted, namely :—

“11. Nodal responsibility for integrated rural development.”;

(b) under the heading “MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHIKSHA AUR SAMAJ KALYAN MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF EDUCATION (SHIKSHA VIBHAG)”,

(i) for entry 16, the following entries shall be substituted, namely :—

“16. Development and propagation of Hindi including multilingual dictionaries,

16A. Grant of financial assistance for the teaching and promotion of Hindi.”;

(ii) after entry 53A., the following entries shall be inserted, namely :—

“53B. Birla Industrial and Technological Museum, Calcutta.

53C. Visvesvaraya Industrial and Technological Museum, Bangalore.

53D. Nehru Science Centre Bombay.”

(c) under the heading “MINISTRY OF ENERGY (OORJA MANTRALAYA)”, under the sub-heading “B. DEPARTMENT OF COAL (KOYLA VIBHAG)”, after entry 7, the following entry shall be inserted, namely :—

“7A. Central Fuel Research Institute, Dhanbad.”;

(d) under the heading “MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)”, under the sub-heading “DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE (RAJBHASHA VIBHAG)”,—

(i) for entry 3, the following entry shall be substituted, namely :—

“3. Nodal responsibility for all matters relating to the progressive use of Hindi as the official language of the Union, including Hindi teaching schemes for Central Government employees and publication of magazines, journals and other literature related thereto.”;

(ii) for entries 4 and 5, the following entries shall be substituted, namely :—

“4. Coordination in all matters relating to the progressive use of Hindi as the official language of the Union, including administrative

- terminology, syllabi, text-books, training courses and equipment (with standardised script) required therefor.
5. Constitution and Cadre management of the Central Secretariat Official Language Service.”;
- (iii) for entry 6, the following entry shall be substituted, namely :—
- “6. Matters relating to Kendriya Hindi Samiti including its Up-Samitis”;
- (e) under the heading “MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)”, after entry 20, the following entries shall be inserted, namely :—
- “20A. Ahmedabad Textile Industry’s Research Association, Ahmedabad.
- 20B. Bombay Textile Research Association, Bombay.
- 20C. The Silk & Art Silk Mills’ Research Association, Bombay.
- 20D. The South India Textile Research Association, Coimbatore.
- 20E. Wool Research Association, Bombay.
- 20F. Indian Jute Industries Research Association, Calcutta.
- 20G. Automotive Research Association, Poona.
- 20H. Indian Plywood Industries Research Institute, Bangalore.
- 20I. Cement Research Institute of India, Faridabad, Haryana.
- 20J. Indian Rubber Manufacturers Research Association, Bombay.”;
- (f) under the heading “MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (VIDHI, NYAYA AUR KAMPANI KARYA MANTRALAYA)” under the sub-heading “B. LEGISLATIVE DEPARTMENT (VIDHAYE VIBHAG)”, for entry 5A., the following entries shall be substituted, namely :—
- “5A. Preparation and publication of standard legal terminology for use, as far as possible, in all official languages.
- 5B. Preparation of authoritative texts in Hindi of all Central Acts and of Ordinances, promulgated and Regulations made by the President and of all rules, regulations and orders made by the Central Government under such Acts, Ordinances and Regulations.
- 5C. Making arrangements for the translation into official languages of the States of Central Acts and of Ordinances, promulgated and Regulations made by the President and for the translation of all State Acts and Ordinances into Hindi if the texts of such Acts or Ordinances are in a language other than Hindi.
- 5D. Publication of law books and law journals in Hindi.”;
- (g) under the heading “MINISTRY OF PETROLEUM CHEMICALS AND FERTILIZERS (PETROLEUM, RASAYAN AUR URVARAK MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF PETROLEUM (PETROLEUM VIBHAG)”, after entry 5, the following entry shall be inserted, namely :—
- “5A. Indian Institute of Petroleum, Dehradun.”;
- (h) under the heading “MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (NAUWAHAN AUR PARIVAHAN MANTRALAYA)”, after entry 16, the following entry shall be inserted, namely :—
- “16A. Central Road Research Institute, New Delhi.”;
- (i) under the heading “MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (NIRMAN AUR AWAS MANTRALAYA)”, after entry 12, the following entry shall be inserted, namely :—
- “12A. Central Building Research Institute, Roorkee.”.
- N. SANJIVA REDDY, President.
- [No. 74/2/1/78-CF]
- B. ROY, Joint Secy.

